



विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई, 2015 को

अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 04 तक)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 05 से 07 तक)
04. **NCNR, PRSU के लिए Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED** क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।
टीप : NCNR, PRSU द्वारा Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. Leica DHR Hodina, India Pvt. Ltd. Mumbai से भावपत्र रायपुर स्थित Company m/s. Varad Corporation, Raipur के माध्यम से मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार m/s. Leica Mumbai से प्राप्त उपकरण का मूल्य Euro 15,249.65 + Custom Charges + LC Opening Charges की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात भुगतान के लिए कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
05. **NCNR, PRSU के लिए HPTLC** क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।
टीप : NCNR, PRSU द्वारा HPTLC क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से भावपत्र मुम्बई स्थित Company m/s. Anchrom Enterprises (I) Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार m/s. Anchrom Enterprises (I) Pvt. Ltd, Mumbai से प्राप्त उपकरण का मूल्य Swiss CHF 94,173 + Custom Charges + LC Opening Charges (Rs. 72,91,321=00) की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात भुगतान के लिए कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

06. **NCNR, PRSU के लिए Anesta Iwata Oil Free Silcent Scrol Air Compressor 3 HP** क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।
टीप : NCNR, PRSU द्वारा Anesta Iwata Oil Free Silcent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से भावपत्र मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से प्राप्त उपकरण का मूल्य रु. 5,67,600 (पाँच लाख सड़सठ हजार छः सौ रुपए) की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात् भुगतान के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
07. **छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रु.14,63,000.00** भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 17 से 18 तक)
08. **पुनर्मुल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र** दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 19)
09. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में** विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 20)
10. **केन्द्रीय जेल, रायपुर से छात्रावास हेतु तख्त क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय** स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 21)
11. **NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव, Extension of** **Appointment** के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 22)
12. **विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा विचारार्थ** एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 23 से 25 तक)
13. **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने के संबंध में** अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 26)

14. विषय क्रमांक 2 मान. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफारमेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 27 से 32 तक)
15. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद— कक्ष—अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक—I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 33 से 38 तक)
16. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आगामी सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 39 से 46 तक)
17. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 47 से 55 तक)
18. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।
टीप : प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :-
प्राचार्य -
1. भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक, दुर्ग
2. खालसा एजुकेशन सोसाइटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग
3. दिशा कालेज आफ साइंस एण्ड कॉमर्स, रामनगर, कोटा, रायपुर
विभागाध्यक्ष शिक्षा -
1. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर
प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।
19. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार करना।
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 56 से 62 तक)
20. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।


कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 4189/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 23/07/2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



क्रमांक: 3797 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 15/06/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 10.06.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	-	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
7. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	-	सदस्य
8. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियन	-	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
10. प्रोफेसर दिनेश मारोटिया	-	सदस्य
11. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
12. श्री श्रीचंद सुंदरानी	-	सदस्य
13. श्री नवीन मार्कण्डेय	-	सदस्य
14. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
03. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS & D दर पर 20 कंप्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार फर्म, HCL Infosystem Ltd. Noida के अधिकृत डीलर मेसर्स, विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से रुपए 7,42,686/- (रुपए सात लाख बयालीस हजार छः सौ छियासी मात्र) टैक्स सहित का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

04. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

05. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की सेवा वृद्धि के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की नियुक्ति संबंधी नियम के साथ प्रस्तुत किया जाय।

06. विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया :

विभागाध्यक्ष शिक्षा -

1. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई - डॉ. अजय आर्य
2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग - डॉ. जसबीर कौर

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टॉवर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समयसीमा में पुनः एक वर्ष वृद्धि हेतु प्रस्ताव अमान्य किया गया।



03. विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रु. 6,31,751/- (छः लाख इकत्तीस हजार सात सौ इक्यावन रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रशासनिक भवन के पीछे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन के लिए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन के संबंध में विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रूपए 6,31,751/- (रूपए सात लाख इकतीस हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।

04. लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे बायोटेक्नालॉजी विभाग भवन एवं विश्वविद्यालय के चारों ओर बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य की शेष राशि भुगतान हेतु विचार करना।

निर्णय : लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे कार्योंपरांत उनके द्वारा बायोटेक्नालॉजी भवन के लिए मांग की गई शेष राशि रूपए 42.18 लाख एवं विश्वविद्यालय परिसर के बाउंड्रीवाल के लिए मांग की गई राशि रूपए 68.83 लाख भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

05. स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।

06. प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया :


प्राचार्य -


1. जगद्गुरु शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई - डॉ. बीना सिंह
2. शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन, धुसेरा, रायपुर - डॉ. बलराम प्रसाद झारिया

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :

01. विश्वविद्यालय परीक्षा में गोपनीय कार्य के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 2.2.2015 में अनुमोदित मुद्रक द्वारा कार्योंपरांत प्रस्तुत देयक की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष



कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 3798/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 15 / 06 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 10.06.2015 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।	---
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।	---
03	साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS & D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS & D दर पर 20 कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार फर्म, HCL Infosystem Ltd. Noida के अधिकृत डीलर मेसर्स, विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से रुपए 7,42,686/- (रुपए सात लाख बयालीस हजार छः सौ छियासी मात्र) टैक्स सहित का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	आदेश क्र. 1087 / Dev / 2015 दिनांक 27.06.2015 भेजा गया है।
04	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	आदेश क्र. 2134 / स्था. / सा.प्रशा. / 2015 दिनांक 29.06.2015 जारी किया गया।
05	छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।	संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद की सेवा वृद्धि के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद की नियुक्ति संबंधी नियम के साथ प्रस्तुत किया जाय।	30.07.2015 की बैठक में प्रस्तुत किया गया है।
06	विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया : विभागाध्यक्ष शिक्षा - 1. के.डी. रूगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई - डॉ. अजय आर्य 2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम-अण्डा, जिला-दुर्ग - डॉ. जसबीर कौर	(1) आदेश क्र. 3936 / अका. / 2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया। (2) आदेश क्र. 3932 / अका. / 2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।
पूरक विषय सूची			
01	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
02	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समयसीमा में पुनः एक वर्ष वृद्धि हेतु प्रस्ताव अमान्य किया गया।	<p>1. प्लेटिनम महाविद्यालय, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर को शासन के आदेशानुसार स्थल परिवर्तन की स्वीकृति दी गई जिसमें समय-सीमा का निर्धारण नहीं है।</p> <p>2. महाविद्यालय ने नये स्थान पर महाविद्यालय के संचालन के लिए कार्य परिषद् में उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के लिये औचित्य के साथ निवेदन किया है -</p> <ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान स्थान में छात्रों के लिये वाहन सुविधा बहुत अच्छी है। • शहर के मध्य में स्थित होने से महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन होता है। • शहर के मध्य में होने के कारण छात्रों की फीस भी कम कर दी गई है। • पुराने, माना स्थित भवन का उपयोग महाविद्यालय अन्य शैक्षणिकोत्तर जैसे Skill development, Vocational Programme इत्यादि के लिए किया जाता है।
03	विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रु. 6,31,751/- (छः लाख इकत्तिस हजार सात सौ इक्यावन रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।	प्रशासनिक भवन के पीछे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन के लिए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन के संबंध में विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रूपए 6,31,751/- (रुपए सात लाख इकत्तिस हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।	भुगतान हो चुका है।
04	लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे बायोटेक्नालॉजी विभाग भवन एवं विश्वविद्यालय के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य की शेष राशि भुगतान हेतु विचार करना।	लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे कार्योंपरांत उनके द्वारा बायोटेक्नालॉजी भवन के लिए मांग की गई शेष राशि रूपए 42.18 लाख एवं विश्वविद्यालय परिसर के बाउन्ड्रीवाल के लिए मांग की गई राशि रूपए 68.83 लाख भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	भुगतान हो चुका है।
05	स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।	स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।	प्रक्रिया में है।

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया : प्राचार्य - 1. जगद्गुरु शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई - डॉ. बीना सिंह 2. शास्त्री स्कूल आफ एजुकेशन, धुसेरा, रायपुर - डॉ. बलराम प्रसाद झारिया अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :	(1) आदेश क्र. 3938 / अका. / 2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया। (2) आदेश क्र. 3934 / अका. / 2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।
1		विश्वविद्यालय परीक्षा में गोपनीय कार्य के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 2.2015 में अनुमोदित मुद्रक द्वारा कार्यापरांत प्रस्तुत देयक की स्वीकृत प्रदान की गई।	भुगतान किया जा चुका है।

कुलसचिव



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

8

विषय:- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में।

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद का पद छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले नियमित पद है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 15-11/84(डी.पी.पी.) दिनांक 01.12.1988 के अनुसार संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद का पद राष्ट्रीय स्तर पर खुला विज्ञापन के माध्यम से भरे जाने वाले पद है तथा इस पद की शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान विश्वविद्यालयीन प्रोफेसरों के समान है।

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद की चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय परिणियम 20 की कंडिका 5 के अनुसार होगा।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एल-2015-38-00008/ब-3/चार दिनांक 10.03.2015 द्वारा संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद को भरने की अनुमति प्राप्त हो गई है, परन्तु इन पदों पर अभी नियुक्ति की कार्यवाही (यथा- विज्ञापन) प्रारंभ नहीं हुई है। वर्तमान में नियुक्ति की कार्यवाही यथा- पद विज्ञापित करना, चयन समिति का गठन आदि में समय लगना संभावित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर कार्यरत अधिकारी को पूरे कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कालेजों को अनुदान दिलाने हेतु पूरा दस्तावेज के साथ अग्रेषित करन एवं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड के अनुसार पालन कराने के लिए इस पद पर पदस्थापना आवश्यक है।

छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उप नियम 4 (1) एवं (2) में निम्नानुसार संविदा नियुक्ति का पद मान्य किया गया है:-

1. ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।
2. विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उप नियम 7(2) के अनुसार सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।

डॉ. विभूति राय, सेवा निवृत्त प्रोफेसर की संविदा आधार पर दिनांक 06.06.2014 को नियुक्त किया गया था। जिसकी अवधि दिनांक 05.06.2015 को समाप्त हो चुकी है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(10)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
RAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI

July, 1985

U.15-11/84(CEP)

The Registrar

b: Functioning of the College Development Council
set up in the universities - Revised guidelines

Mr,

In continuation of this office letter of even number dated 21.2.1985, I am directed to say that the University Grants Commission at its meeting held on 21.6.1985 considered the recommendations of the committee appointed by it to review the functioning of the College Development Council set up in the universities and agreed that the scheme be extended for the next five years ending March, 1990 as per the enclosed revised guidelines on the condition that the State Govt. would take over the responsibility hereafter.

The Commission further desired that the post of Director/Dean/Coordinator, College Development Council should be filled w.e.f. 1.10.1985 through open advertisement on an All-India basis.

In the new set up of the College Development Council from 1st Oct. 1985, the Director/Dean/Coordinator may be appointed w.e.f. by a selection committee consisting of the following :

- 1) Vice-Chancellor (to preside)
- 2) A nominee of the U.G.C.
- 3) One nominee of the Syndicate of the University.

The tenure of the Director/Dean/Coordinator, C.D.C. may be for 3 years. He may be re-appointed for another term of 3 years but not beyond the age of 65 years.

....2/-

The Dean/Director/Coordinator may be appointed in scale of Rs.1500-2500 plus other admissible allowances for University rules. Person on deputation will be liable for deputation and other permissible allowances.

The Commission also desired that the T.A./D.A. of Director/Dean/Coordinator, College Development Council visiting colleges may be met by the university from own resources.

The above decision of the Commission is brought to notice of the University for guidance and necessary action.

Yours faithfully,

C.M. Ramachandran
(C.M. Ramachandran)
Deputy Secretary

Copy to all Officers and Sections
Divisions A to D